

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3659] No. 3659] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 13, 2018/भाद्र 22, 1940

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 13, 2018/BHADRA 22, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2018

का.आ. 4822(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 467 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की अनुसूची-V को संशोधित करने हेतु निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

- 2. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 5 में,-
- (1) भाग-। में "नियुक्तियां" शीर्षक के अधीन,
 - (क) पैरा (क) में खंड (xvi) के पश्चात् निम्नलिखित मदें अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-
 - "(xvii) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31);
 - (xviii) वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12);
 - (xiv) भगौड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (2018 का 17);"
 - (ख) पैरा (घ) का लोप किया जाएगा;
- (2) भाग 2 के अधीन "पारिश्रमिक" शीर्षक के खंड 2 में:-
 - (क) शीर्षक में शब्दों "केंद्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना" शब्दों का लोप किया जाएगा;

5425 GI/2018 (1)

- (ख) प्रथम पैरा में "केंद्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना" शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (ग) परंतुक के मद (क) में, शब्दों "परंतु उपरोक्त सीमाएं दुगनी होंगी" के स्थान पर शब्द "परंतुक उपरोक्त सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक अदा किया जा सकता है" रखे जाएंगे:
- (घ) मद (ख), में शब्दों "केंद्रीय सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है" के स्थान पर शब्द "पारिश्रमिक मद (क) के अनुसार" शब्द रखे जाएंगे;
- (ङ) मद (ख) के दूसरे परंतुक में, खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातु:-
- "(ii) कंपनी ने किसी बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्था या गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर धारकों या कोई अन्य प्रतिभूति लेनदार को बकाया की अदायगी में कोई चूक नहीं की है और यदि चूक की है तो बैंक, या संबंधित सार्वजनिक वित्तीय संस्था या गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर धारकों या अन्य प्रतिभूत लेनदार जैसा भी मामला हो, कंपनी द्वारा साधारण बैठक में अनुमति लेने से पूर्व उनसे अनुमति लेनी होगी।";
- (च) मद (ख) में, दूसरे परंतुक में, खंड (iii) में "में विनिर्दिष्ट सीमाएं" शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (3) भाग 2 में, "पारिश्रमिक शीर्ष के अधीन खंड 3 में,-
 - (क) शीर्षक में शब्दों "केंद्रीय सरकार की अनुमोदन के बिना" का लोप किया जाएगा;
 - (ख) प्रथम पैरा में शब्दों "केंद्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना" का लोप किया जाएगा;
 - (ग) खंड (ख) में लंबी पंक्ति में शब्दों "खंड 2 के अधीन अनुज्ञेय रकम के दोगुना तक पारिश्रमिक" के स्थान पर शब्द "इसके प्रबंधकीय व्यक्तियों के लिए कोई पारिश्रमिक" रखा जाएगा;
 - (घ) खंड (घ) का लोप किया जाएगा।
- (4) भाग II, में खंड IV में, स्पष्टीकरण 6 के, खंड (क) का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 1/5/2013-सीएल.V] के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-V तारीख 01 अप्रैल, 2014 से प्रवृत्त की गई और भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 2922(अ) तारीख 12.09.2016 द्वारा इसमें संशोधन किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2018

- S.O. 4822(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 467 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following amendments to amend Schedule V of the said Act, namely:—
- 2. In Schedule V of the Companies Act, 2013,-
- (1) in PART I, under title "APPOINTMENTS",
 - (a) in para (a) after the item (xvi), the following items shall be inserted namely:-
 - "(xvii) the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016)

- (xviii) the Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017)
- (xix) the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (17 of 2018)
- (b) para (d) shall be omitted.
- (2) In PART II, under heading "REMUNERATION", in Section II -,
 - (a) in the heading, the words "without Central Government approval" shall be omitted;
 - (b) in the first para, the words "without Central Government approval" shall be omitted;
 - (c) in item (A), in the proviso, for the words "Provided that the above limits shall be doubled" the words "Provided that the remuneration in excess of above limits may be paid" shall be substituted;
 - (d) in item (B), for the words "no approval of Central Government is required" the words "remuneration as per item (A) may be paid" shall be substituted;
 - (e) in Item (B), in second proviso, for clause (ii), the following shall be substituted, namely:-
 - "(ii) the company has not committed any default in payment of dues to any bank or public financial institution or non-convertible debenture holders or any other secured creditor, and in case of default, the prior approval of the bank or public financial institution concerned or the non-convertible debenture holders or other secured creditor, as the case may be, shall be obtained by the company before obtaining the approval in the general meeting.";
 - (f) in item (B), in second proviso, in clause (iii), the words "the limits laid down in" shall be omitted;
- (3) In PART II, under the heading "REMUNERATION", in Section III,
 - (a) in the heading, the words "without Central Government approval" shall be omitted;
 - (b) in first para, the words "without the Central Government approval" shall be omitted;
 - (c) in clause (b), in the long line, for the words "remuneration up to two times the amount permissible under Section II" the words "any remuneration to its managerial persons", shall be substituted;
 - (d) clause (d) shall be omitted.
- (4) In Part II, in section IV, in Explanation VI, the clause (A) shall be omitted.

[F. No. 1/5/2013-CL-V]

K.V.R.MURTY, Jt. Secy.

Note: The Schedule V of the Companies Act, 2013 came into force with effect from the 1st April, 2014 and was amended vide notification number S.O. 2922 (E) dated 12.09.2016, published in the Gazette of India.